भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1922
3 अगस्त, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों संबंधी आंकड़े

1922. डा. वी. शिवादासन:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितनी सहकारी सिमितयाँ हैं;
(ख) विगत पाँच वर्षो में कितनी सहकारी सिमितयां-पंजीकृत हुई हैं और कितनी पंजीकृत सहकारी सिमितयाँ बंद हुई हैं, तत्संबंधी राज्य व्यार ब्यौरा क्या है; और
(ग) विगत पाँच वर्षो के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकारों को और प्रत्यक्ष रूप से सहकारी क्षेत्र को कितनी-कितनी निधि आवंटित की गई है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, (एनसीयूआई) द्वारा संकलित सांख्यिकीय प्रोफाइल-2018, के आंकड़ों के अनुसार, क्रेडिट और गैर-क्रेडिट सहकारी समितियों सहित सहकारी समितियों की कुल संख्या 8,54,355 है। (अनुबंध 1)

(ख) एक राज्य में अवस्थित सदस्यों के साथ सहकारी समितियां, संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत होती हैं और सहकारी समितियों से संबंधित राज्यों के रजिस्ट्रार द्वारा विनियमित होती हैं। राज्य सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत ऐसी समितियों का विवरण संबंधित राज्य सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा रखा जाता है।

एक से अधिक राज्यों में अवस्थित सदस्यों वाली सहकारी समितियों को बहु राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत किया जाता है।

बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2022 के तहत, पिछले पांच वर्षों के दौरान 79 समितियां पंजीकृत की गई हैं और पिछले 5 वर्षों के दौरान 46 समितियां परिसमापन के अधीन हैं। (अनुबंध 2)

(ग) सरकार ने अगले तीन वर्षों में कुल 2516 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ देश भर में 63,000 कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा, देश में सहकारिता के समग्र विकास के लिए, "सहकार से समृद्धि योजना" तैयार की जा रही है, जिसके लिए बजट में 274 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने पिछले पांच वर्षों में सहकारी समितियों को ऋण और सब्सिडी (सीएसआईएसी योजना के तहत) के रूप में निम्नलिखित वित्तीय सहायता वितरित की है:

(रु. करोड़ में)

S.No.	वित्तीय वर्ष	कुल संवितरण	सीएसआईएसएसी के तहत सब्सिडी का वितरण
1	2017-18	21969.58	192.89
2	2018-19	28272.51	125.60
3	2019-20	27703.43	118.13
4	2020-21	24733.24	303.42
5	2021-22	34221.08	258.02

*****

भारत में सहकारी समितियों का राज्य-वार/प्रकार-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विपणन	उपभोक्ता	डेयरी	आवासन	चीनी	श्रम	मत्स्य/मत्स्यपालन/ एक्वाकल्चर	पशुधन/पोल्ट्री	कपड़ा/हस्तकरघा/ स्पिंडलेज/ हस्तशिल्प	कृषि-अनुषंगी/कृषि-प्रसंस्करण	औद्योगिक	महिला	बहुराज्य	बहुउद्देशीय	सेवा क्षेत्र	आदिवासी/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	एससीयू	अन्य	कुल गैर-ऋण	पैक्स	पीसीएआरडीबी	यूसीबी	कार्मिक थ्रिफ्ट व अन्य ऋण	डीसीसीबी	एससीबी	एससीएआरडीबी	कुल ऋण	कुल योग (ऋण + गैर-ऋण)
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	62	69	0	76	0	1126	112	53	0	25	115	41	0	288	0	19	1	0	**1987**	51	-	0	65		1		**117**	**2104**
आंध्र प्रदेश	14	777	3538	716	10	4520	2361	1	483	1305	0	718	18	0	1414	2	1	54466	**70344**	2051	-	48	761	13	1		**2874**	**73218**
अरूणाचल प्रदेश	2	36	7	0	0	259	11	3	23	14	3	4	1	326	1	0	1	40	**731**	34	-	0	17		1		**52**	**783**
असम	31	282	440	147	1	32	456	757	5	394	421	2341	5	246	0	80	1	850	**6489**	766	1	8	2980		1	1	**3757**	**10246**
बिहार	522	1875	4280	2742	0	4577	387	237	1095	1829	2723	430	18	261	187	0	1	9187	**30351**	8463	-	3	327	23	1	1	**8818**	**39169**
चंडीगढ़	1	0	0	204	0	0	0	0	0	0	0	19	1	0	0	0	0	0	**225**	17	-	0		0	1		**18**	**243**
छत्तीसगढ़	186	951	768	387	0	57	766	0	1	5812	109	287	8	534	0	0	1	144	**10011**	1333	-	12		6	1	1	**1353**	**11364**
दादरा और नागर हवेली	6	13	14	96	1	4	7	8	0	1	44	5	1	1	31	0	1	11	**244**	2	-	0	38				**40**	**284**
दमन एवं दीव	0	1	1	22	0	2	1	0	0	6	4	6	0	2	2	1	1	49	**97**	0	-	0	9				**9**	**106**
दिल्ली	0	820	0	2099	0	0	0	0	1	212	1206	0	134	170	2	0	1	279	**4924**	0	-	15	1420		1		**1436**	**6360**
गोवा	20	103	183	1	0	22	18	1	0	83	0	130	2	1934	0	0	1	895	**3393**	81	-	6	341		1		**429**	**3822**
गुजरात	2181	2014	18614	17462	31	3835	640	0	9	6746	4535	15	35	160	0	0	1	6588	**62866**	8484	-	220	5960	18	1	1	**14684**	**77550**
हरियाणा	91	23	7325	7660	15	7725	1	110	2	74	0	4	12	738	0	0	1	33	**23814**	711	19	7		19	1	1	**758**	**24572**
हिमाचल प्रदेश	326	374	563	93	0	103	65	0	391	29	119	17	1	116	0	261	1	340	**2799**	2127	20	5	439	2	1	1	**2595**	**5394**
जम्मू और कश्मीर	111	49	158	61	0	48	1	443	2	0	0	0	0	45	0	0	1	449	**1368**	643	-	4		3	1	1	**652**	**2020**
झारखंड	1	481	540	757	0	1923	386	58	267	425	1366	214	8	122	0	0	0	2913	**9461**	2345	-	2	2038	8	1		**4394**	**13855**
कर्नाटक	111	1344	15275	1736	38	194	636	50	1227	3941	954	1462	26	2511	250	26	1	730	**30512**	5679	178	264	4282	21	1	1	**10426**	**40938**
केरल	617	4646	3271	400	0	657	655	49	8	128	23	1162	20	314	327	827	1	3072	**16177**	1647	79	60	1284	14	1	1	**3086**	**19263**
लक्षद्वीप	11	2	0	0	0	5	6	0	7	0	15	0	0	1	15	0	0	0	**62**	19	-	0					**19**	**81**
मध्य प्रदेश	380	4977	9554	2946	1	784	2460	119	968	2093	1525	5675	26	1597	0	272	1	5701	**39079**	4457	35	51	3753	38	1	1	**8336**	**47415**
महाराष्ट्र	1226	1808	13948	101543	180	11269	3300	2951	1738	3456	222	442	562	350	9	1	1	366	**143372**	21217	-	502	40762	31	1	1	**62514**	**205886**
मणिपुर	24	119	562	173	0	249	416	423	6138	366	0	0	1	155	2	1	1	277	**8907**	223	1	3	102		1		**330**	**9237**
मेघालय	29	54	87	15	0	6	72	109	88	57	103	122	0	456	1	0	1	109	**1309**	179	-	3	63		1		**246**	**1555**
मिज़ोरम	7	97	115	6	0	12	58	264	216	246	60	1	0	131	0	7	1	55	**1276**	159	-	1			1		**161**	**1437**
नागालैंड	86	167	181	38	0	2	398	470	527	1324	51	0	1	3819	73	32	1	128	**7298**	1719	-	0	41		1		**1761**	**9059**
ओडिशा	1	1	5588	1	0	96	1086	2060	1325	0	117	0	19	0	0	151	1	4155	**14601**	2701	-	9		17	1	1	**2729**	**17330**
पुड्डुचेरी	3	37	125	1	0	27	68	0	23	0	14	7	5	62	0	0	1	23	**396**	53	-	1	80		1	1	**136**	**532**
पंजाब	85	94	6317	684	8	1720	3	0	3	85	1978	1035	23	0	0	0	1	1286	**13322**	3543	89	4	457	20	1	1	**4115**	**17437**
राजस्थान	491	195	12897	976	0	1020	35	0	4	1	1027	5159	72	0	0	0	1	63	**21941**	6411	36	37	3	29	1	1	**6518**	**28459**
सिक्किम	108	62	345	0	0	2938	8	53	1401	1	18	36	1	207	0	0	1	0	**5179**	176	-	1	107		1		**285**	**5464**
तमिल नाडु	128	1447	11302	1035	354	85	1364	0	1	52	0	1809	87	46	7	22	1	109	**17849**	4511	180	129	1788	23	1	1	**6633**	**24482**
तेलंगाना	10	1	1850	0	1	0	4016	1	767	1	0	0	3	0	1024	1	1	56620	**64296**	798	-	52		9	1		**860**	**65156**
त्रिपुरा	1	228	119	5	0	63	155	23	256	90	142	75	0	215	70	4	1	331	**1778**	268	0	1	18		1	1	**289**	**2067**
उत्तर प्रदेश	259	1058	26150	4184	0	935	1034	140	408	981	0	56	136	125	105	0	1	33	**35605**	8929	-	66	3536	50	1	1	**12583**	**48188**
उत्तराखंड	30	7	4008	1	15	10	19	0	118	55	419	161	4	0	0	0	1	0	**4848**	759	-	5		10	1		**775**	**5623**
पश्चिम बंगाल	238	2143	3831	6084	1	2648	2669	0	5	69	0	60	47	0	259	0	1	1784	**19839**	7409	24	43	6326	17	1	1	**13817**	**33656**
कुल	**7399**	**26355**	**151956**	**152351**	**656**	**46953**	**23670**	**8383**	**17507**	**29901**	**17313**	**21493**	**1277**	**14932**	**3779**	**1707**	**32**	**151086**	**676750**	**97961**	**662**	**1562**	**76997**	**371**	**33**	**19**	**177605**	**854355**

अनुबंध 2

पिछले पांच वर्षों अर्थात 2017 से 2022 के दौरान एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत बहुराज्य सहकारी समितियों की संख्या -

क्र. सं	वर्ष	पंजीकृत समितियों की संख्या
1	2017	7
2	2018	8
3	2019	9
4	2020	10
5	2021	13
6.	2022	32
	कुल	**79**

एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत राज्यवार बहुराज्य सहकारी समितियां

क्र. सं	राज्य/संघ केन्द्र शासित में मुख्यालय	समितियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	असम	1
3.	बिहार	2
4.	दिल्ली	4
5.	गुजरात	5
6.	हरियाणा	4
7.	कर्णाटक	1
8.	केरल	5
9.	मध्य प्रदेश	4
10.	महाराष्ट्र	27
11.	पंजाब	1
12.	तमिल नाडू	6
13	तेलंगाना	5
14.	उत्तर प्रदेश	17
15.	जम्मू एंव कश्मीर	1
16.	मणिपुर	2
	कुल	**79**

पिछले 5 वर्षों के दौरान परिसमापन के तहत लाए गए बहु राज्य सहकारी समितियों की राज्यवार सूची इस प्रकार है -

क्रसं .	राज्य/संघ केन्द्र शासित में मुख्यालय	समितियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1
2	गुजरात	1
3	महाराष्ट्र	11
4	तमिल नाडू	4
5	दिल्ली	5
6	पंजाब	1
7	उत्तर प्रदेश	9
8	राजस्थान	14
	कुल	**46**